रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1604] नई दिल्ली, बुधवार, जून 7, 2017/ज्येष्ठ 17, 1939
No. 1604] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 7, 2017/JYAISTHA 17, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जून, 2017

का.आ. 1811(अ).— भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 71 (अ), तारीख 8 जनवरी, 2016, द्वारा उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना अंतर्विष्ट है, उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण में एक प्रारुप अधिसूचना प्रकाशित की गई थी;

और, उक्त राजपत्र, जिसमें उक्त प्रारुप अधिसूचना अंतर्विष्ट है, की प्रतियां जनता को 8 जनवरी, 2016, को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, उक्त प्रारुप अधिसूचना के प्रत्युत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे;

और, कर्नाटक के जगालुर तालुक जिला दावानागेरे में स्थित कर्नाटक सरकार के वन पारिस्थितिक और पर्यावरण विभाग की अधिसूचना सं. एफईई 240 एफ डब्ल्यू एल 2010, बैंगलोर तारीख 10 जनवरी 2011 द्वारा अधिसूचित अभयारण्य उपखंड अर्थात् खंड-'क' खंड-'ख' और खंड-'ग' से मिलकर बने रंगय्यादुर्गा चौसींगा मृग वन्य जीव अभयारण्य उ 14° 32¹ पू 76° 07¹ तथा उ 14° 42¹ पू 76° 17¹ अक्षांश और देशांतर के बीच स्थित है और 77.24 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है;

और, इन वनों में संकटग्रस्त चौसींगा मृग जो भारत की अद्भुत मृग प्रजातियां हैं [*टेट्रासेरीस्क्वाड्रीकार्निस*] की कुछ जीवित जंगली वन्य जनसंख्या में से एक है; ये प्राणी, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 (1972 का 53) की अनुसूची के अधीन संरक्षित है और विभिन्न दृष्टिकोणों से वर्द्धमान संकटों का सामना कर रहे हैं; इन वनों में रीछ, साल, जंगली बिल्ली, साही, लकड़बग्घा और अन्य संकटाग्रस्त वन्य जीव प्रजातियों और अन्य को भी आश्रय प्रदान करते हैं; तेंदुए इन वनों के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं और घाटी के भागों में भालू, लकड़बग्घा और बनैला सूअर दिखाई देते हैं; पहाड़ी ढलानों में बहुतायत खरगोश पाये जाते है और जहरीले सरीसृपों में सम्मिलित कोबरा, वाइपर और करैत और बिच्छू की विभिन्न विविधता भी अभिलिखित है; सामान्यत: पक्षी जीव जंगल कौवा, चिड़िया, सामान्य मैना, सुनहरी कठफोड़वा, कबूतर और तीतर पाये जाते हैं और शिकार के विशिष्ट पक्षियों में गिद्ध होते हैं और पिर्या पतंग होते हैं और इसके अलावा अन्य पक्षियों जैसे बुलबुल, स्टार्क और कोयल, मोर भी पाये जाते हैं; रंगय्यादुर्गा आरक्षित वनों के वन के अंतर्गत दक्षिणी उष्णकटिबंधीय मिश्रित पर्णपाती वन और दक्षिणी शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन आते हैं; वनस्पति में मुख्य रूप से हर्विसे बिनटा (कमारा), अल्बिसीया अमारा (थुगली), एनोजेसस लेटिफोलिया (दिन्दगी), अज़ार्डिक्टा इंडिका (बीवु), कैसिया फ़िट्टुला (काक्के) आदि के साथ क्लोरोक्सिलोन स्वेएटेनिया (मसाइला), सोयामिडा फबरफुगा (सम) शामिल हैं और अन्य फ्यूल प्रजातियां और इस दुष्प्रभाव प्रतिरोधी प्रजातियों के अलावा इपुर्बिआस, एस्क्लेपीडिया और अकोसीस जैसे पाए जाते हैं; इन क्षेत्रों में बबूल सुन्द्र (थारे), बबूल निलोटिका (करी जली), प्रॉसिपिस जूलिफ्लोरा और अन्य कांटेदार झाड़ियों से वन को साफ़ करना इस क्षेत्र में आम है और इस वन में वन के चारों ओर महत्वपूर्ण विभिन्न जल ग्रहण के लिए टैंकों और झीलों जिसमें गुरुसिद्दापुरा टैंक, मागदी टैंक, मलेमचीकेरे टैंक और अन्य सम्मिलित हैं;

और इस क्षेत्र के वनों में शुष्क मिश्रित पतझड़ी से लेकर कांटेदार झाड़ियों के विभिन्न किस्मों के वन हैं। यद्यपि उनके बीच अन्तर की रेखा विषम नहीं है उनमें बिल्कुल अभिलक्षण तथा गोचरता है । सर हेनरी जी दोमिपियन और श्री एस के सेठ के पुनरीक्षित वर्गीकरण के अनुसार इन क्षेत्रों में पतझड़ी (5डी एस 1) तथा दक्षिणी कांटेदार [6ए/डीए 1]वन हैं वनस्पति *अल्बीजिया अमारा, अजार्डिरेक्टा इंडिका, एनोगिसस लेटिफोलिया, फाइलेन्थस एम्बिलिका, हार्डविकिया बाईनाटा* आदि।उपरोक्त वनस्पतियों के अतिरिक्त अभयारण्य में *गार्सिनिया मोरेल्ला, सोलेनम इंडिकम, अकेशिया कटैचू, एकेन्थस एस्प्रा, कैशिया फिस्टुला* आदि औषधीय पादपों की जातियों के पोषक है।

और, रंगय्यादुर्ग चौसींगा मृग वन्य जीव अभयारण्य चौसींगा मृगों के साथ साथ स्तनपायीयों, सरीसृपों, पक्षियों, तितलियों तथा अन्य कीटों के लिए एक प्राकृतिक वास है जो महत्वपूर्ण प्रजातियों का क्षेत्र है चौसींगा मृगों के अतिरिक्त पाए जाने वाली सामान्य जीव जंतु चीता, रीछ, साही, बनैला, सुअर, हयेना, साल, गीदड़ जंगली बिल्ली, सितारेदार कछुआ, मटरमुर्गा, तीतर और विभिन्न प्रकार के सर्प छिपकलियां तथा पक्षी पाए जाते हैं।

और, रंगय्यादुर्ग चौसींगा मृग वन्य जीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गो के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नाटक राज्य में रंगय्यादुर्गा चौसींगा मृग अभयारण्य की सीमा के आस पास 0.95 से 4.50 किलोमीटर तक के क्षेत्र को रंगय्यादुर्गा चौसींगा मृग

अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसके ब्यौरे निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**--(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन रंगय्यादुर्गा चौसींगा मृग अभयारण्य का विस्तार 0.95 किलोमीटर से 4.50 किलोमीटर तक है और पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार 137.14 वर्ग किलोमीटर तक है और ऐसे जोन की सीमाओं के ब्यौरे **उपाबंध I** में दिए गए हैं ।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन जिसमें 30 ग्राम हैं और इसके साथ प्रमुख बिंदुओं के निर्देशांकों सहित **उपाबंध II** के रूप में संलग्न है ।

(3) सीमा के ब्यौरे तथा अक्षांश और देशांतर रेखा के साथ-साथ पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा के मानचित्र **उपाबंध III** के रूप में संलग्न है ।

(4) पारिस्थितिक संवेदी जोन और साथ ही अभयारण्य में मुख्य अवस्थानों **उपाबंध IV** के रूप में संलग्न हैं ।

(5) पारिस्थितिक संवेदी जोन में सम्मलित वन क्षेत्र (49.0 हेक्टेअर) की सूची रंगय्यादुर्गा चौसींगा मृग वन्यजीव अभयारण्य **उपाबंध Iv** के अनुसार उपाबद्ध हैं ।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना— (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस तरह, इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(3) आंचलिक महायोजना, पर्यावरणीय और पारिस्थितिक विचारों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के सभी संबद्ध विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण;
(ii) वन और वन्यजीव;
(iii) कृषि;
(iv) राजस्व;
(v) शहरी विकास;
(vi) पर्यटन;
(vii) ग्रामीण विकास;
(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
(ix) नगरपालिका;
(x) पंचायती राज;
(xi) लोक निर्माण विभाग।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में और अधिक दक्षता और पारिस्थितिक अनुकूलता का संवर्धन करेगी ।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की

आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(6) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी और इस योजना के मानचित्र द्वारा विद्यमान और प्रस्तावित भूमि के उपयोग का विवरण किया जाएगा ।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगा और पैरा 4 में सूचीबद्ध प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का पालन करेगा और स्थानीय समुदायों की आजीविका सुरक्षा के लिए पारिस्थितिक-अनुकूल विकास को सुनिश्चित करेगा और बढ़ावा देगा।

(8) आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में दिए गए उपबंधों के संबंध में अपने कार्यों के बाहर ले जाने के लिए निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:--

(1) **भू-उपयोग – (क)** पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन निगरानी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के साथ और राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के रूप में लागू होंगे, जो स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए है, जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना और नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाओं सहायक पारिस्थितिक पर्यटन में सम्मिलित गृह वास; और

(v) संवर्धित क्रियाकलाप और पैरा 4 के अंतर्गत दिया गया है:

परंतु यह और भी कि क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और अन्य नियमों और विनियमों के अंतर्गत राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन तथा संविधान के अनुच्छेद 244 और तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि, निगरानी समिति के विचार अभिप्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को देनी होगी।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा।

(ख) यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल निकाय** -- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों, नदियों, चैनलों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी।

(3) **पर्यटन/ पारिस्थितिक-पर्यटन –** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नये पारिस्थितिक पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप या वर्तमान पर्यटन सम्बंधी क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे।

(ख) पारिस्थितिक पर्यटन महायोजना राज्य पर्यटन विभाग द्वारा राज्य पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में जाना जायेगा ।

(घ) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलाप से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे। तथापि, जहाँ पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार एक किलोमीटर से ज्यादा है वहाँ, एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटक क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार होगा;

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया होगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा ।

(5) मानव निर्मित विरासत स्थल.—पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में भाग होगी ।

(6) ध्वनि प्रदूषण –पारिस्थितिक संवेदी जोन में निवारण और ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन ध्वनि (विनियम और नियंत्रण) नियम 2000 के अनुसार संकलित किया जाएगा ।

(7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में निवारण और नियंत्रण, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1981 (1981 का 14) और इसके अधीन किए गए नियमों के अनुसार संकलित किया जाएगा ।

(8) बहिस्राव का निस्सारण.—पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों के अन्तर्गत आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषक तत्वों के निस्सारण के साधारण मानकों के अनुसार होगा ।

(9) **ठोस अपशिष्ट.—**ठोस अपशिष्टों का निपटान और प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा--

(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट निपटान तथा प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016, जो भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा;

जैविक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर स्वीकार्य रीति में किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भस्मीकरण और भूमि भराव के स्थापनों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(10) जैव चिकित्सीय अपशिष्ट- जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा—

(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(ख) पारिस्थितिक संवेदी जोन में कोई साधारण उपचार सुविधा या जलाया जाना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(11) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन.—पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन.—पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(13) ई–अपशिष्ट:- पारिस्थितिक संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित ई–अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) यानीय परिवहन.—परिवहन की यानीय गति आवास के अनुकूलन रीति द्वारा विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध समाविष्ट किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने तक और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा के अनुमोदित होने तक, निगरानी-समिति सुसंगत अधिनियम तथा तदधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन यानीय गति के अनुपालन को निगरानी करेगी ।

(15) यानीय प्रदूषण:- लागू विधियों के अनुसार यानीय प्रदूषण की निवारण और नियंत्रण का अनुपालन किया जाएगा और स्वच्छ ईंधन उदाहरण के लिए सीएनजी, एलपीजी, आदि के उपयोग के लिए प्रयास किए जानें हैं ।

(16) औद्योगिक इकाइयां.—(i) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन को या उसके पश्चात पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर किसी नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(ii) फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में केवल गैर- उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को तब तक अनुज्ञात किया जाएगा जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और इसके अलावा, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) पहाड़ी ढलानों का संरक्षण.—पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा:

(क) आंचलिक महायोजना उन पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों को उपदर्शित करेगी जहां किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।

(18) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार, यदि यह आवश्यक समझती है, इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने में अन्य अतिरिक्त उपाय विनिर्दिष्ट करेगी।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.— पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड), 2011 और पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण (ईआईए) अधिसूचना, 2006 और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 के 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 के 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 के 53) तथा इनमें किए गए संशोधनों सहित अन्य लागू विधियों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	**क्रियाकलाप**	**वर्णन**
(1)	(2)	(3)
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और उनको तोड़ने की इकाइयां ।	(क) सभी नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं के सिवाय नहीं होगी जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए भूमि को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण भी सम्मिलित है; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश

		तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसार सर्वदा की जाएंगी ।
2.	प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना (जल या वायु या मृदा या ध्वनि)।	(क) कोई नई या पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के विस्तार की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी। (ख) पारिस्थितिक संवेदी जोन के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में फरवरी, 2016 के भीतर सिर्फ गैर- प्रदूषित उद्योगों की स्थापना के वर्गीकरण की अनुज्ञा दी जाएगी, जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो।
3.	बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्रावों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
6.	ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल की स्थापना और सामान्य जलाए जाने की सुविधा के लिए ठोस और जैव चिकित्सा अपशिष्ट।	पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट निपटान की कोई नई ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल और अपशिष्ट उपचारित/प्रसंस्करण सुविधा की अनुज्ञा नहीं है। औद्योगिक प्रक्रिया और स्वास्थ्य प्रतिष्ठान/अस्पतालों आदि से उत्पन्न किसी भी ठोस अपशिष्ट के उपचारित के लिए सामान्य या व्यक्तिगत जलावतरण की सुविधा का अधिकतर प्रतिषिद्ध है।
7.	फर्मों, कॉरपोरेट कंपनियों, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन और कुक्कुट फार्मों की स्थापना ।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे अन्यथा नहीं।
8.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई या विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
9.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
10.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
ख. विनियमित क्रियाकलाप		
11.	होटलों और रिसोर्टों की वाणिज्यिक स्थापना ।	पारिस्थितिक पर्यटन क्रियाकलापों के लिए अस्थायी लघु संरचनाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात होंगे, अन्यथा नहीं : परंतु, संरक्षित जोन की सीमा से या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक एक किलोमीटर से ज्यादा है, जो भी निकट है वहाँ सभी नए पर्यटक क्रियाकलाप या विद्यमान

		क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरुप होगा।
12.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र या पारिस्थितिक संवेदी जोन जो भी निकट हो, की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण करने की अनुमति भवन उपविधियों के अनुसार दी जाएगी । (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण; (ii) अवसंरचना ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण; (iii) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में फरवरी, 2016 के भीतर सिर्फ गैर- प्रदूषित उद्योगों की स्थापना के वर्गीकरण; (iv) कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुख सुविधाओं जो पारिस्थितिक पर्यटन जिस में सहायक हो गृह वास; और (iv) इस अधिसूचना में सूचीबद्ध क्रियाकलापों की सूची : परन्तु ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे । (ख) एक किलोमीटर से परे आंचलिक महायोजना की अनुसार विनियमित होंगे ।
13.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में वर्ष, 2016 के भीतर सिर्फ गैर-प्रदूषित उद्योगों की स्थापना के वर्गीकरण की अनुमति दी जाएगी, जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो । इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषित कुटीर उद्योगों को प्रतिषिद्ध किया जाएगा।
14.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी ।

IndiaCode

		(ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए सुसंगत नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी ।
15.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पाद (एन.टी.एफ.पी.) का संग्रहण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
16.	विद्युत केबलों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण और केबल बिछाना और अन्य बुनियादी ढांचे ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । भूमिगत केबल को बढ़ावा दिया जाएगा।
17.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों के अनुसार न्यूनीकरण की उपायों के साथ, नियम और विनियमन और उपलब्ध दिशानिर्देश विनियमित होंगे।
18.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना और नई सड़कों का संनिर्माण ।	लागू विधियों के अनुसार न्यूनीकरण की उपायों के साथ, नियम और विनियमन और उपलब्ध दिशानिर्देश विनियमित होंगे।
19.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस और अन्य पर्यटन क्रियाकलाप आदि द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
20.	पहाड़ी ढालों और नदी किनारों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
21.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
22.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ डेयरी, डेयरी फार्मिंग, पशुपालन, पशुपालन कृषि और मछली पालन ।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
23.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण ।	जल निकायों में प्रवेश करने के लिए अपशिष्ट जल/बहिस्राव उपचारित उत्सर्जन रोकेगा। पुन:चक्रण और अपशिष्ट जल उपचारित पुन: उपयोग के लिए प्रयास किए जाएगे अन्यथा अपशिष्ट जल/बहिस्राव उत्सर्जन लागू विधि के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
24.	सतह और भूजल के वाणिज्यिक निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
25.	खुले कुआ, बोर कुआ, आदि के लिए कृषि और अन्य उपयोग ।	विनियमित और उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की सख्ती से निगरानी की जाएगी।
26.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
27.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
28.	पारिस्थितिक पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।

IndiaCode

29.	पोलिथीन बैगों का उपयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
30.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
	ग. संवर्धित क्रियाकलाप	
31.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
32.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को अंगीकृत करना।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
34.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
35.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग।	बायो गैस, सौर उर्जा आदि को बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	पारिस्थितिक अनुकूल परिवहन का उपयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	निम्नीकृत भूमि/वन/आवास की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
40.	पर्यावरणीय जागरुकता ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. निगरानी समिति.—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम,1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (3) इस प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी निगरानी तीन वर्ष की अवधि के लिए एक निगरानी समिति गठित करती है जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(i) क्षेत्रीय आयुक्त, मैसूर -अध्यक्ष;

(ii) पर्यावरण विभाग, कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधि -सदस्य;

(iii) शहरी विकास विभाग, कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधि -सदस्य;

(iv) प्रकृति संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है), का पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा तीन वर्ष के लिए नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला एक प्रतिनिधि -सदस्य ;

(v) क्षेत्रीय अधिकारी, कर्नाटक सरकार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड -सदस्य ;

(vi) पर्यावरण और वन मंत्रालय, केंद्रीय सरकार नाम निर्दिष्ट किए जाने वाला कर्नाटक राज्य द्वारा प्रत्येक मामले में तीन वर्ष के लिए ख्याति प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से पारिस्थितिक में एक विशेषज्ञ – सदस्य;

(vii) विधानसभा सदस्य, जगालूर निर्वाचन क्षेत्र -सदस्य

(viii) उपायुक्त या उसका प्रतिनिधि, देवानगेरे -सदस्य

(ix) राज्य जैव विविधता बोर्ड का सदस्य.—सदस्य;

(x) उप वन संरक्षक, परियोजना दावनगेरे प्रभाग, दावनगेरे -सदस्य सचिव

*(अन्य बातों के साथ सुसंगत अनुमोदन यदि अपेक्षित हो जिसमें कर्नाटक विधान सभा अध्यक्ष से प्राप्त अनुज्ञा भी है, अभिप्राप्त करते हुए कर्नाटक सरकार के अध्यधीन)

6. निर्देश निबंधन :

(1) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा;

(2) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को निगरानी करेगी।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन आने वाले ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त, ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) निगरानी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की राज्य के मुख्य वन्यजीव रक्षक को अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध VI** पर उपाबद्ध रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेगी ।

8. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित किसी आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन, होंगे ।

[फा. सं. 25/161/2015-ईएसजेड]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

रंगय्यादुर्गा चौसींगा मृग वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का सीमा विवरण

उत्तर- जिला दावानागेरे, तालुक जागलुर, बासावानाकोटे ग्राम के उत्तर पूर्व भू भाग बिंदु के एस वार्ड सं 206 से प्रारम्भ होकर पूर्व मे सभी समान्तर उत्तरी सीमा के बासावाकोटे, अरीशनागुंडा और मागदी ग्रामो के मागदी ग्राम के उत्तर पूर्व भू भाग के सर्वे सं 41 की ओर जाती है इसके बाद रेखा जिला बेल्लारी, तालुक कुडलागी ठुलाहाल्ली ग्राम के उत्तर की पश्चिम सीमा के सर्वे सं 532,531,530,528,527, से ठुलाहाल्ली ग्राम से उत्तर–पश्चिम भू–भाग सर्वे सं 527 की ओर जाती है इसके बाद रेखा–पश्चिम के पास सामान्य सीमा के 527-526, 523-526, 523-524, 523-518, 521-518, 519-518, 519-512, 545-512, 545-510, 550-610, 608-610, 609-610, 611-610, 611-612, 614-613, 614-621, 620-621, 620-622, 620-623, 623-622, 623-646, 644-646, 653-646, 652-648, 652-651, 661-651, 662-650, 662-437, 662-436, 662-434, 433-434, 433-432, 429-432, 429-431, 429-430, 428-430, 423-430, 423-344, 423-345, 423-346, 422-348, 349-348, 350-348, 350-351, 354-351, 354-352, 354-353, 159-353, 159-179, 159-162, 158-162, 158-161, 157-161, 157-162, 157-163, 156-163, 156-164, 156-152, 154-153, 147-153, 147-151, 147-150, 149-150, 87-150, 88-84, 88-85, 88-86 से ठुलाहाली ग्राम के उत्तर पूर्व भू –भाग के सर्वे सं 88 की ओर जाती है। इसके बाद रेखा ठुलाहाल्ली ग्राम के पास दक्षिण के सामान्य पट्टी के उत्तर पूर्व भू –भाग के सर्वे सं 92 और जागलुर यारालाकट्टे ग्राम के उत्तरी पश्चिम भू –भाग के सर्वे सं 9 की ओर जाती है इसके बाद रेखा याराकटटे ग्राम की सामान्य सीमा के पूर्व सं 09-08, 13-08, 13-14, 17-14, 17-15, 16-15 से एक उसी ग्राम के दक्षिण पूर्व से सर्वे सं 15 की ओर जाती है इसके बाद रेखा दक्षिण के समांनातर पूर्व सतह के सर्वे सं 16 से उसी ग्राम के उत्तर पश्चिम भू –भाग के सर्वे सं 92 की ओर जाती है इसके बाद रेखा उसी ग्राम से समान्य सीमा की सर्वे सं 92-97, 92-96, 95-96, 95-100, 101-100, 102-100, 102-116, 134-116 से उसी ग्राम के उत्तर पूर्व भू –भाग के सर्वे सं 134 की ओर जाती है इसके बाद रेखा यारालाकटटे ग्राम और सोक्के ग्राम की दक्षिण पूर्व और उत्तर से मेडाकरीपुरा ग्राम के उत्तर पूर्व पर सामान्य सीमा के सर्वे सं.41 की ओर जाती है इसके बाद रेखा मेडाकरीपुरा ग्राम के पूर्व पर सामान्य सीमा के सर्वे सं. 41-42, 41-37, 38-37, 27-37, 27-36, 27-28, 25-28, 25-14, 25-54, 53-54, 53-13, 52-13, 51-13, 49-13, 49-11, 50-11 से मेडाकरीपुरा ग्राम के सामान्य पट्टी के सर्वे सं 50 और लक्कमपुरा ग्राम के सर्वे सं 10, 11 की ओर जाती है।

पूर्व- रेखा मेडाकरीपुरा कातेनाहल्ली ग्राम थालावाराकरीयप्पा नाहली ग्राम, हिरेबानीहट्टी ग्राम के दक्षिण पर पूर्वी सीमा से उत्तर पूर्व भू –भाग के सर्वे सं 42 और चक्काबनीहटटी ग्राम की उत्तर पश्चिम भू भाग सर्वे सं 43 की ओर जाती है । इसके बाद रेखा चिक्काबनीहट्टी ग्राम के दक्षिण पर सामान्य सीमा के सर्वे सं 42-42-43, 45-43, 45-44, 2-44 से चिक्काबनीहट्टी ग्राम दक्षिण पूर्व भू –भाग के सर्वे सं 2 की ओर जाती है इसके बाद रेखा चिक्काबनीहट्टी ग्राम की पश्चिम सीमा से सीतारासानाहली ग्राम के उत्तर पूर्व भू –भाग के सर्वे सं 37 की ओर जाती है इसके बाद रेखा सीतारासानाहली ग्रामके दक्षिण पर सामान्य सीमा के सर्वे सं 37-36, 38-36, 19-36, 19-20, 18-22, 17-22 से सीतारासानाहली ग्राम के दक्षिण पूर्व भू –भाग के सर्वे सं 17 की ओर जाती है इसके बाद रेखा सीतारासानाहली ग्राम केलागोटे ग्राम और वीरावानागाथीहली ग्राम की सामान्य पट्टी से दक्षिण सीमा के

सर्वे सं 17 की ओर जाती है इसके बाद रेखा केलागोट ग्राम की पश्चिम सीमा से केलागोटे ग्राम की पूर्व भू–भाग के सर्वे सं 57 की ओर जाती है।

दक्षिण- इसके बाद रेखा केलागोटे ग्राम की दक्षिण सीमा के सर्वे सं 57 से कानाकुप्पा ग्राम के उत्तर पूर्व भू–भाग के सर्वे सं 16 की ओर जाती है इसके बाद कानाकुप्पा ग्राम की सामान्य सीमा के सर्वे सं16-17, 16-19, 15-21, 24-21, 24-23, 26-23, 26-27, 28-27, 29-33, 29-32, 29-31, 30-31, 5-31, 4-31, 4-37, 3-37, 1-37, 1-39, 1-47, 48-47, 48-46, 49-46, 49-45, 53-45, 53-54, 53-55, 52-55, 106-55, 106-56, 65-126, 65-58, 59-58 से कानाकुप्पा ग्राम के दक्षिण पूर्व भू –भाग के सर्वे सं 59 की ओर जाती है इसके बाद रेखा कानाकुप्पा ग्राम की दक्षिण सीमा से कानाकुप्पाग्राम की दक्षिण पश्चिम भू–भाग ओर जाती है इसके बाद रेखा हुच्चापलाहल्ली, ग्राम की दक्षिण सीमा से हुच्चापलाहल्ली,ग्राम के दक्षिण पूर्व भू –भाग के सर्वे सं 71 की ओर जाती है इसके बाद रेखा हुच्चापलाहल्ली, इलाहल्ली और मुस्तीग्रानाहली ग्रामो के पूर्व पर दक्षिण पूर्व भू –भाग सर्वे सं 39 की ओर जाती है इसके बाद रेखा मुस्तीग्रानाहल्ली ग्राम की सामान्य सीमा के सं. 39-115, 40-115, 40-41, 40-43, 53-43, 52-43, 52-51, 62-51, 62-63, 73-63, 71-63, 69-63, 69-67, 68-67, 68-66, 68-65, 75-76, 77-76 से उसी ग्राम के दक्षिण पूर्व भू –भाग के सर्वे सं 77की ओर जाती है इसके बाद रेखा मुस्तीग्राहली ग्राम के उत्तरी पर पश्चिम सीमा से काल्लेनाहल्ले ग्राम, लीगानाहल्ली ग्राम, मुस्तीग्रानाहल्ली ग्राम और मीनीग्रानाहल्ली ग्राम, के सामान्य पट्टी की ओर जाती है इसके बाद रेखा काल्लेनाहल्ली ग्राम की पश्चिम पर दक्षिण सीमा से काल्लेनाहल्ली ग्राम के दक्षिण पश्चिम पूर्व भू –भाग के सर्वे सं 47 की ओर जाती है।

पश्चिम- इसके बाद रेखा काल्लेनाहल्ले ग्राम के उत्तर पर पश्चिम सीमा के सर्वे सं 47 से काल्लेनाहल्ली ग्राम के दक्षिण पश्चिम भू –भाग के सर्वे सं 50 की ओर जाती है इसके बाद रेखा काल्लेनाहल्ली ग्राम की सामान्य सीमा सर्वे सं50-53, 52-53, 52-37, 52-38, 40-38, 40-39, 40-29, 41-29, 42-28 से उसी ग्राम के उत्तरी पश्चिम भू –भाग के सर्वे सं 42 की ओर जाती है इसके बाद रेखा काल्लेनाहल्ली ग्राम उत्तरी सीमा के सर्वे सं 42 से काल्लेनाहल्ली ग्राम गोडे ग्राम और पल्लागटटे ग्राम की सामान्य पट्टी की ओर जाती है इसके बाद रेखा गोडे ग्राम और थारेहल्ली ग्राम की पश्चिम सीमा से उरालाकट्टे ग्राम की दक्षिण सीमा पर थारेहल्ली और पल्लागट्टे ग्राम की सामान्य पट्टी की ओर जाती है इसके बाद रेखा उरालाकट्टे ग्राम की दक्षिण और पश्चिम सीमा, चेल्लाकट्टे और वारावीहल्ली ग्राम की पश्चिम सीमा सेसोददाययानाकोटे ग्राम की दक्षिण पर वारावीहली ग्राम की औरउप्पावाडेराहल्ली ग्राम के सामान्य पट्टी की ओर जाती है इसके बाद रेखा सीदृायानाकोटे ग्राम की दक्षिण पश्चिम पर दक्षिण सीमा से सीदृायानाकोटे ग्राम के दक्षिण पश्चिम भू –भाग के सर्वे सं 79 की ओर जाती है इसके बाद रेखा सीदृायानाकोटे ग्राम की सामान्य सीमा के सर्वे सं79-91, 80-90, 81-87, 82-87, 82-86, 83-86, 83-84, 44-43, 47-43, 42-43, 42-41, 38-41, 38-39, 38-18, 28-19, 24-19, 22-19, 22-20, 21-20, 21-6, 21-5, 4-5, 4-3 बासावानाकोटे ग्राम की सर्वे सं 108 और सीदृायानाकोटे ग्राम की सर्वे सं 3 बासानावानाकोटे ग्राम की सर्वे सं107और सीदृायानाकोटे ग्राम की सर्वे सं 177,176,175,174, बासानावानाकोटे ग्राम की सर्वे सं 107-89, 106-89, 90-89, 91-85, 91-84, 79-84, 80-84, 80-82, 81-82, 81-55, 56-55, 56-57, 58-57, 38-57, 38-50, 38-39, 42-39, 42-41, 43-41, 43-44, 43-26, 34-26, 34-27, 34-30, 33-30, 31-30, 31-13, 5-13, 5-6, 4-6, 3-6, 2-6, 7-6, 7-8, 255-254, 255-253, 255-252, 258-252, 259-250, 248-249, 248-243, 244-243, 242-243 से उसी ग्राम के उत्तर पश्चिम भू –भाग के सर्वे सं 243 दक्षिण पश्चिम

IndiaCode

भू –भाग के सर्वे सं 242 की ओर जाती है इसके बाद रेखा उसी ग्राम की पश्चिम सीमा के सर्वे सं 242, 241 से उसी ग्राम की सामान्य पट्टी के सर्वे सं241,238, और 237 की ओर जाती है इसके बाद रेखा ग्राम की सामान्य सीमा के सर्वे सं 238-237, 238-236, 224-236, 224-225, 226-233, 226-232, 226-231, 227-231, 228-231, 228-230, 229-230, 229-233, 214-233 से उसी ग्राम के उत्तरी पूर्व भू भाग के सर्वे सं 214 की ओर जाती है इसके बाद रेखा उसी ग्राम की दक्षिण सीमा के सर्वे सं 233 से उसी ग्राम के उत्तरी पश्चिम भू –भाग के सर्वे सं 212 की ओर जाती है इसके बाद रेखा उसी ग्राम की उत्तरी सीमा के सर्वे सं 212 की ओर जाती है इसके बाद रेखा नाला को पार करके प्रारंभ बिंदु से मिलती है ।

उपाबंध II

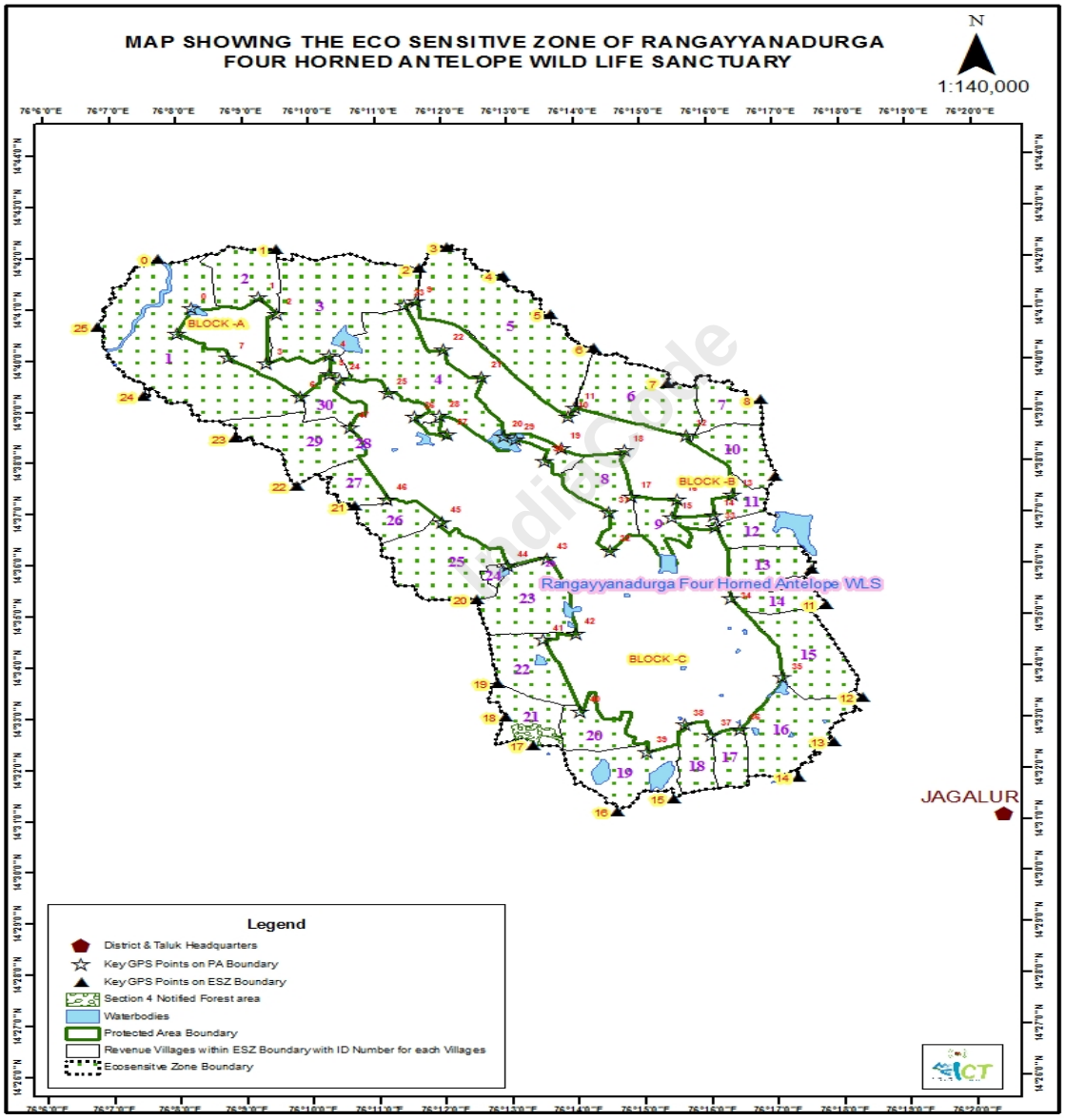
रंगय्यादुर्गा चौसींगा मृग वन्यजीव अभयारण्य की पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्राम

मानचित्र	ग्राम	पारिस्थितिक संवेदी जोन विस्तार	क्षेत्र (हेक्टेयर)	देशांतर			अक्षांश			तालुक	जिला
				डिग्री	मिनट	सेकेण्ड	डिग्री	मिनट	सेकेण्ड		
1	बसावानाकोटे	आंशिक ग्राम	1600.58	76	8	17.29	14	40	18.17	जागलुरू	दावानागेरे
2	अगासानाहल्ली	समग्र ग्राम	368.63	76	9	2.65	14	41	35.30	जागलुरू	दावानागेरे
3	मागदी	समग्र ग्राम	1096.51	76	10	20.72	14	41	5.38	जागलुरू	दावानागेरे
4	गुरूसीदापुरा	समग्र ग्राम	969.22	76	12	16.69	14	39	11.37	जागलुरू	दावानागेरे
5	ठुलाहल्ली	आंशिक ग्राम	1316.41	76	12	56.54	14	40	38.69	कुडलीगी	बेलारी
6	थारालाकट्टे	आंशिक ग्राम	649.61	76	14	53.29	14	38	52.72	जागलुरू	दावानागेरे
7	मेदाकेरीपुरा	आंशिक ग्राम	245.60	76	16	14.48	14	39	5.58	जागलुरू	दावानागेरे
8	गोवदीकट्टे	समग्र ग्राम	393.31	76	14	23.25	14	36	59.86	जागलुरू	दावानागेरे
9	मंलेमाचीकेरे	समग्र ग्राम	334.49	76	15	27.57	14	36	46.70	जागलुरू	दावानागेरे
10	कातेनाहल्ली	समग्र ग्राम	309.92	76	16	25.93	14	38	10.20	जागलुरू	दावानागेरे
11	तालावाराकरीयाप्पानाहल्ली	समग्र ग्राम	146.58	76	16	23.54	14	37	18.18	जागलुरू	दावानागेरे
12	हीरेबान्नीहटी	समग्र ग्राम	222.25	76	16	43.31	14	36	37.20	जागलुरू	दावानागेरे
13	चिक्काबन्नी	समग्र ग्राम	287.67	76	16	46.65	14	35	57.13	जागलुरू	दावानागेरे
14	शीथारासानोहल्ली	आंशिक ग्राम	236.86	76	17	1.84	14	35	20.49	जागलुरू	दावानागेरे
15	केलाकोटि	समग्र ग्राम	540.33	76	17	28.59	14	34	12.82	जागलुरू	दावानागेरे
16	कानाकुप्पा	आंशिक ग्राम	598.26	76	16	19.19	14	33	54.53	जागलुरू	दावानागेरे
17	हुच्चापालानाहल्ली	समग्र ग्राम	176.82	76	16	15.66	14	32	31.98	जागलुरू	दावानागेरे
18	इनाहल्ली	समग्र ग्राम	233.28	76	15	45.53	14	32	31.56	जागलुरू	दावानागेरे
19	मुस्तगाराहल्ली	आंशिक ग्राम	484.11	76	14	50.24	14	32	8.45	जागलुरू	दावानागेरे
20	लीगान्नहल्ली	समग्र ग्राम	264.44	76	14	29.63	14	33	5.03	जागलुरू	दावानागेरे
21	कालेनाहल्ली	आंशिक ग्राम (खंड क्षेत्र सम्मिलित)	297.29	76	13	13.94	14	33	0.13	जागलुरू	दावानागेरे
22	गोडे	समग्र ग्राम	457.56	76	13	48.33	14	34	6.84	जागलुरू	दावानागेरे
23	तारेहल्ली	समग्र ग्राम	560.42	76	13	43.07	14	35	19.69	जागलुरू	दावानागेरे
24	चिक्काउरलाकट्टे	समग्र ग्राम	36.72	76	12	45.04	14	35	48.30	जागलुरू	दावानागेरे
25	उरलाकट्टे	समग्र ग्राम	666.14	76	12	28.50	14	36	19.58	जागलुरू	दावानागेरे
26	छाल्लाकट्टे	समग्र ग्राम	230.53	76	11	33.84	14	37	5.50	जागलुरू	दावानागेरे
27	वारावीनाहलली	समग्र ग्राम	181.50	76	10	41.15	14	37	35.40	जागलुरू	दावानागेरे
28	रंगाईहनाकोटि	समग्र ग्राम	19.77	76	11	45.09	14	38	5.44	जागलुरू	दावानागेरे

29	सीदाईहनाकाटि	आंशिक ग्राम	519.85	76	9	52.59	14	38	24.50	जागलुरू	दावानागेरे
30	जादानाकट्टे	समग्र ग्राम	220.66	76	10	26.72	14	39	15.66	जागलुरू	दावानागेरे
	कुल		13665.29								

उपाबंध III

रंगय्यादुर्गा चौसींगा मृग वन्यजीव अभयारण्य की पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र



उपाबंध IV

रंगय्यादुर्गा वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा पर प्रमुख बिन्दुओं के भू-निर्देशांकों को दर्शाने वाली सारणी

मानचित्र आई डी	देशांतर			अक्षांश		
	डिग्री	मिनट	सेकेण्ड	डिग्री	मिनट	सेकेण्ड
1	76	7	43.24	14	41	59.85
2	76	9	30.05	14	42	11.26
3	76	11	39.99	14	41	47.91
4	76	12	4.67	14	42	12.87
5	76	12	55.20	14	41	38.77
6	76	13	38.29	14	40	53.55
7	76	14	16.92	14	40	13.14
8	76	15	23.34	14	39	31.38
9	76	16	47.87	14	39	12.21
10	76	17	0.84	14	37	42.57
11	76	17	33.32	14	35	53.31
12	76	17	45.34	14	35	11.84
13	76	18	18.63	14	33	22.97
14	76	17	51.76	14	32	30.97
15	76	17	20.05	14	31	49.75
16	76	15	26.71	14	31	24.48
17	76	14	35.54	14	31	9.63
18	76	13	19.96	14	32	28.05
19	76	12	55.21	14	33	1.23
20	76	12	47.66	14	33	41.08
21	76	12	29.81	14	35	19.50
22	76	10	40.02	14	37	9.15
23	76	9	46.99	14	37	33.30
24	76	8	52.09	14	38	29.71
25	76	7	28.92	14	39	19.08
26	76	6	47.62	14	40	40.49

IndiaCode

रंगय्यादुर्गा वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा पर प्रमुख बिन्दुओं के भू-निर्देशांकों को दर्शाने वाली सारणी

खंड-क

मानचित्र आई डी	देशांतर			अक्षांश		
	डिग्री	मिनट	सेकेण्ड	डिग्री	मिनट	सेकेण्ड
1	76	8	13.22	14	41	1.47
2	76	9	14.62	14	41	13.92
3	76	9	30.28	14	40	54.98
4	76	9	21.56	14	39	56.49
5	76	10	18.53	14	40	5.57
6	76	10	17.88	14	39	43.46
7	76	9	51.28	14	39	17.32
8	76	8	47.12	14	40	3.68

खंड-ख

मानचित्र आई डी	देशांतर			अक्षांश		
	डिग्री	मिनट	सेकेण्ड	डिग्री	मिनट	सेकेण्ड
9	76	7	59.83	14	40	31.88
10	76	11	37.38	14	41	8.43
11	76	13	54.29	14	38	53.07
12	76	13	59.89	14	39	2.88
13	76	15	41.15	14	38	30.27
14	76	16	22.50	14	37	20.18
15	76	16	5.40	14	36	56.45
16	76	15	27.88	14	36	54.12
17	76	15	32.56	14	37	14.73
18	76	14	51.17	14	37	18.77
19	76	14	44.63	14	38	13.10
20	76	13	47.56	14	38	15.95
21	76	12	55.78	14	38	30.19
22	76	12	36.26	14	39	39.84
23	76	12	1.54	14	40	12.10

IndiaCode

खंड-ग

मानचित्र आई डी	देशांतर			अक्षांश		
	डिग्री	मिनट	सेकेण्ड	डिग्री	मिनट	सेकेण्ड
24	76	11	26.26	14	41	4.36
25	76	10	27.84	14	39	38.07
26	76	11	10.81	14	39	21.34
27	76	11	35.45	14	38	53.26
28	76	12	4.91	14	38	32.79
29	76	11	58.07	14	38	54.42
30	76	13	6.20	14	38	26.96
31	76	13	32.15	14	38	1.00
32	76	14	30.52	14	37	0.56
33	76	14	31.57	14	36	15.25
34	76	16	6.95	14	36	42.26
35	76	16	20.38	14	35	18.77
36	76	17	6.37	14	33	45.79
37	76	16	28.20	14	32	45.45
38	76	16	1.64	14	32	38.39
39	76	15	37.37	14	32	50.81
40	76	15	3.72	14	32	19.23
41	76	14	2.69	14	33	6.98
42	76	13	30.12	14	34	30.99
43	76	13	59.29	14	34	38.46
44	76	13	34.12	14	36	6.66
45	76	12	58.86	14	35	57.95
46	76	11	58.70	14	36	49.92
47	76	11	9.70	14	37	16.85
48	76	10	36.23	14	38	41.29

IndiaCode

उपाबंध V

रंगय्यादुर्गा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत सम्मिलित वन क्षेत्रों की सूची

अधिसूचित वन क्षेत्र – 0.49 वर्ग किलोमीटर

क्र. सं.	जिला	वन के नाम	प्रशासनिक नियंत्रण	क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में	सरकार आदेश सं. और दिनांक
1	देवनागेरे	कल्लेनाहल्ली सेक्टर -4 क्षेत्र	देवनागेरे वन प्रभाग	0.49	एफईई-114-एफएएफ-2013, बैंगलोर दिनांक : 25-11-2013

उपाबंध VI

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति.—की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तिथि ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 7 June, 2017

S.O. 1811(E).— Whereas, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of the India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 71 (E), dated 8th January 2016,inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And Whereas, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the dated the 8th January 2016;

And Whereas, no objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the draft notification;

And Whereas, Rangayyanadurga Four Horned Antelope Wildlife Sanctuary comprising of 3 blocks, viz, Block-A, Block-B, Block-C notified by the Forest, Ecology and Environment Department, Government

of Karnataka vide notification No. FEE 240 FWL 2010, Bangalore, dated the 10th January, 2011 situated in Jagalur Taluk, Davanagere District of Karnataka State lies between latitude and longitude N 14^0 32^1 E 76^0 07^1 and N 14^0 42^1 E 76^0 17^1 and is spread over an area of 77.24 square kilometers;

And Whereas, the forests in the said Sanctuary have one of the few wild surviving populations of the endangered four-horned antelope [Tetracerosquadricornis], a unique antelope species endemic to India and these animals are protected under Schedule I of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972) and facing increasing threats from various angles; these forests also harbor other endangered wildlife species such as the sloth bear, pangolin, jungle cat, porcupine, hyena and others and it is one of the single largest blocks of reserved forests surviving in the drier plains of the State; leopards are found in the hilly tract of these forests and bears, hyaenas and wild boars are seen in the valley portions; hares are found in plenty in the hill slopes and poisonous reptiles include cobras, viper and krait and different varieties of scorpions are recorded; the commonly found avifauna are jungle crow, sparrow, common myna, golden backed wood pecker, pigeons and partridges and typical birds of prey are vultures and the paraiah kites and apart from these, other birds like bulbul, stark and cuckoo, peacock are also found; the forests of Rangayyanadurga Reserved Forests mainly consist of Southern tropical mixed deciduous forest and Southern dry mixed deciduous forest; the vegetation consists of predominantly Harwickia binata (Kamara), Albizzia amara (Thugli), Anoegeissus latifolia (Dindiga), Azardicta indica (Bevu), Cassia fistula (Kakke), etc. in association with Chloroxylon swietenia (Masivala), Soyamida febrifuga (Some) and other fuel species and apart from this drought resistant species such as Euphorbias, Asclepiads and Acacias are found, the characteristic among these being Acacia sundra (Thare), Acacia nilotica (Kari jali), scrub jungle consisting of Prosopis juliflora and other thorny shrubs are common in this region; and these forests also act as important catchment for various tanks and lakes around the forests including Gurusiddapura tank, Magadi tank, Malemachikere tank and others;

And Whereas, the forests of this area vary from dry mixed deciduous to thorny scrub types, though the line of distinction between them is not abrupt they are quite characteristic and distinguishable and as per the revised classification of Indian Forest types by Sir Harry G. Champion and Sri S.K.Seth, the forests of this area belong to dry deciduous scrub [5DS1] and southern thorn forests [6A/DS1], and the vegetation comprises of species of *Albizzia amara, Azadirachta indica, Anogoessis latifolia, Emblica officinalis, Zizyphus jujuba, Hardiwicki binata, etc.* and in addition to the above flora there is a host of species of medicinal plants found in the aforesaid Sanctuary namely, *Garcimi amorella, Solanum indicum, Acacia catechu, Acanthus apera, Cassia fistula, etc.*;

And Whereas, Rangayyanadurga Four Horned Antelope Wildlife Sanctuary is a habitat for variety of Mammals, Reptiles, Birds, Butterflies and other insects along with the Four Horned Antelope which is a flagship species of the area and common fauna found in addition to Four Horned Antelope are Leopards, Sloth Bears, Porcupines, Wild boar, Hyena, Pangolin, Rabbits, Jackals, Wild cats, Star Tortoise, Pea fowls, Partridges and various types of snakes, lizards, reptiles and birds;

And Whereas, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which are specified in paragraph 1 of this notification, around the protected area of Rangayyanadurga Four Horned Antelope Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone.

Now Therefore, in exercise of the powers conferred by sub section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 0.95 to 4.50 kilometers from the boundary of Rangayyanadurga Four Horned Antelope Wildlife Sanctuary in the State of Karnataka as the Rangayyanadurga Four Horned Antelope Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.— (1) The Eco-Sensitive Zone is spread over an area of 137.14 square kilometers with an extent varying from 0.95 kilometers to 4.50 kilometers around the boundary of Rangayyanadurga Four Horned Antelope Sanctuary and the boundary details of such Zone is given in **Annexure-I**.

(2) The list of 30 villages falling within Eco-sensitive Zone along with co-ordinates of prominent points is appended as **Annexure-II.**

(3) The map of the Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes is appended as **Annexure-III.**

(4) The Geo Coordinates of major points on the Eco-sensitive Zone boundary as well as on the Sanctuary boundary are appended as **Annexure-IV.**

(5) The list of the forest areas (49.0 Hacteare) included in the Eco-sensitive Zone of Rangayyanadurga Four Horned Antelope Wildlife Sanctuary is appended as **Annexure-V.**

2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of Competent Authority in the State Government.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-

(i) Environment;

(ii) Forest and Wildlife;

(iii) Agriculture;

(iv) Revenue;

(v) Urban Development;

(vi) Tourism;

(vii) Rural Development;

(viii) Irrigation and Flood Control;

(ix) Municipal;

(x) Panchayati Raj;

(xi) Public Works Department.

IndiaCode

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps and the Plan shall be supported by maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in the Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in the Table and in paragraph 4 also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(8) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. **Measures to be taken by State Government.-** The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Landuse.-** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of the local residents, and for activities such as -

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) promoted activities and given in paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.- The catchment areas of all natural springs, rivers and channels shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan.

(3) **Tourism/Eco-tourism.-**

(a) All new Eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b)The Eco-tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of Eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) no new construction of hotels and resorts shall be permitted within one kilometer from the boundary of the aforesaid Wildlife Sanctuary or upto the extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer and beyond the distance of one kilometer from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts may be permitted only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism.

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel /resort or commercial establishment construction is permitted within Eco-sensitive Zone area.

(4) Natural Heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution.- Prevention and Control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986.

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder.

(8) Discharge of effluents.- Discharge of treated effluent in the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder or standards stipulated by State Government.

(9) Solid wastes.- Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) The solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number S.O. 1357(E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone.

(b) No burning or incineration of solid wastes and establishment of landfills shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) Bio-medical waste.- Bio medical waste management shall be as under:-

(a) the bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016;

(b)no common treatment facility or incineration shall be permitted within the Eco Sensitive Zone.

(11) Plastic waste management.- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016,.

(12) Construction and demolition waste management.- The Construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016,

(13) E-waste.- The E- waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

(14) Vehicular traffic.- The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution.- Prevention and control of vehicular pollution shall be carried out in accordance with applicable laws and the efforts to be made for use of cleaner fuel for example CNG, LPG, etc.

(16) Industrial units.- (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries may be permitted within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February 2016, unless otherwise specified in this notification.

(17) Protection of hill slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) no construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

(18) The Central Government and the State Government shall specify other additional measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this notification.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone (CRZ), 2011 and the Environmental Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S No	Activity	Description
(1)	**(2)**	**(3)**
	A. Prohibited Activities	
1.	Commercial Mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for personal consumption. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (water, air, soil, noise, etc.).	(a) no new industries or expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive zone shall be permitted. (b) only non-polluting industries may be permitted within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February 2016, unless otherwise specified in this notification.
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.

4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Establishment of solid waste disposal site and common incineration facility for solid and bio medical waste.	No new solid waste disposal site and waste treatment/processing facility of solid waste shall be permitted within Eco-sensitive Zone, and installation of common or individual incineration facility for treatment of any form of solid waste generated from industrial process and health establishment, hospitals, etc. shall be prohibited.
7.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, companies, etc.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws except for meeting local needs.
8.	Setting of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
9.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
10.	Commercial use of fire wood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
	B. Regulated Activities	
11.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the protected Area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
12.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometre from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their residential use including the activities listed in sub- paragraph (1) of paragraph 3 as per building byelaws to meet the residential needs of the local residents such as:- (i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads; (ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities; (iii) Small scale industries not causing pollution termed as per classification done by the Central Pollution Control Board in the year 2016; (iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stays; and (v) Promoted activities listed in this Notification: Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any.

		(b) Beyond one kilometre it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
13.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in the year 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
14.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the relevant Central or State Acts and the rules made thereunder.
15.	Collection of Forest Produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
16.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
17.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
18.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
19.	Under taking other activities related to tourism like over flying the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated under applicable laws.
20.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
21.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
22.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
23.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water, and the discharge of treated waste water or effluents shall be regulated as per applicable laws.
24.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable laws.
25.	Open well, bore well, etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity shall be monitored by the concerned authority.
26.	Solid waste management.	Regulated under applicable laws.
27.	Introduction of Exotic species.	Regulated under applicable laws.
28.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws.
29.	Use of polythene bags.	Regulated under applicable laws

IndiaCode

30.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
C. Promoted Activities		
31.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
32.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
33.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
34.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
35.	Use of renewable energy and fuels.	Bio gas, solar light, etc. to be actively promoted.
36.	Agro-forestry.	Shall be actively promoted.
37.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
38.	Skill development.	Shall be actively promoted.
39.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
40.	Environmental Awareness.	Shall be actively promoted.

IndiaCode

5. Monitoring Committee.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee for a period of three years, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of the following, namely:-

(i) Regional Commissioner, Mysore –Chairman;

(ii) Representative of the Department of Environment, Government of Karnataka –Member;

(iii) Representative of the Department of Urban Development, Government of Karnataka –Member;

(iv) Representative of Non-Governmental Organisations working in the field of nature conservation (including heritage conservations) to be nominated by the Government of Karnataka for three years– Member;

(v) Regional Officer, Karnataka State Pollution Control Board, Mysore – Member;

(vi) One expert in ecology from reputed Institution or University of the State of Karnataka to be nominated by the Government of Karnataka for a term of three years in each case –Member;

(vii) Member of the State Legislative Assembly, Jagalur Constituency –Member;

(viii) Deputy Commissioner or his representative, Davanagere. –Member ;

(ix) Member, State Biodiversity Board-Member;

(ix) Deputy Conservator of Forests, Davanagere (T) Division, Davangere –Member Secretary.

*:(Subject to the State Government of Karnataka obtaining relevant approvals *inter alia* including permission from the Speaker of Legislative Assembly, Karnataka, if required)

6. Terms of reference.-

(1) The tenure of the Monitoring Committee shall be for a period three years.

(2) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(3) The activities that are covered in the schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro-forma appended at **Annexure-VI.**

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to the provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/161/2015-ESZ]

LALIT KAPUR, Scientist 'G'

ANNEXURE-I

Boundary description of Eco-sensitive zone around Rangayyanadurga Four Horned Antelope Wildlife Sanctuary.

North: Starting from a point North-West corner of Sy.No. 206 of Basavanakote village, JagalurTaluk, Davanagere District line runs East all along Northern boundary of Basavanakote, Arishinagunda and Magadi villages to North-East corner of Sy.No. 41of Magadi village. Then line runs north on western boundary of Sy.Nos. 532, 531, 530, 528, 527 of Thulahalli Village KudlagiTaluk, Bellary District to North-West corner of Sy.No.527 of Thulahalli Village. Then line runs west on common boundary of SyNos 527-526, 523-526, 523-524, 523-518, 521-518, 519-518, 519-512, 545-512, 545-510, 550-610, 608-610, 609-610, 611-610, 611-612, 614-613, 614-621, 620-621, 620-622, 620-623, 623-622, 623-646, 644-646, 653-646, 652-648, 652-651, 661-651, 662-650, 662-437, 662-436, 662-434, 433-434, 433-432, 429-432, 429-431, 429-430, 428-430, 423-430, 423-344, 423-345, 423-346, 422-348, 349-348, 350-348, 350-351, 354-351, 354-352, 354-353, 159-353, 159-179, 159-162, 158-162, 158-161, 157-161, 157-162, 157-163, 156-163, 156-164, 156-152, 154-153, 147-153, 147-151, 147-150, 149-150, 87-150, 88-84, 88-85, 88-86 to North-East corner of Sy. No.88 of Thulahalli Village then line runs South to common band of North-East corner of Sy. No. 92 of Thulahalli Village and North-West corner of Sy.No.9 of Yaralakatte Village,

JagaluruTaluk. Then line runs on common boundary of Sy.Nos. 09-08, 13-08, 13-14, 17-14, 17-15, 16-15 of Yarlakatte village to South-East corner of Sy.No. 15 of same village. Then line runs South all along Eastern side of Sy.No. 16 to North-West corner of Sy.No.92 of same village. Then line runs Northern boundary of Sy.No. 92 of same village. Then line runs on common boundary of Sy.Nos. 92-97, 92-96, 95-96, 95-100, 101-100, 102-100, 102-116, 134-116 of same village to North-East corner of Sy.No.134 of same village. Then line runs South, East and North on common boundary of Yarlakatte Village and Sokke Village to North-West corner of Sy. No. 41of Medakaripura Village. Then line rums East on common boundary of Sy.Nos. 41-42, 41-37, 38-37, 27-37, 27-36, 27-28, 25-28, 25-14, 25-54, 53-54, 53-13, 52-13, 51-13, 49-13, 49-11, 50-11 of Medakaripura village to a common bandh of Sy.No. 50 of Medakeripura village and Sy. Nos.10, 11 of Lakkampura village

East: The line runs South on Eastern Boundary Medakaripura Village, Katenahalli Village, Thalavarakariyappanahalli Village, Hirebannihatti Village to North-East corner of Sy.No.42 and North-West corner of Sy.No.43 of Chikkabannihatti Village. Then line runs South on common boundary of Sy.Nos.42-43, 45-43, 45-44, 2-44 of Chikkabannihatti Village to South-East corner Sy.No.2 of Chikkabannihatti Village. Then line runs Western Boundary of Chikkabannihatti Village to North-East corner of Sy.No.37 of Sitarasanahalli Village. Then line runs South on common boundary of Sy.Nos. 37-36, 38-36, 19-36, 19-20, 18-22, 17-22 of Sitarasanahalli Village to South-East corner of Sy.No.17 of Sitarasanahalli Village. Then line runs Southern boundary of Sy.No.17 to common band of Sitarasanahalli Village, Kelagote Village and Veeravanagathihalli Village. Then line runs Western Boundary of Kelagote Village to South-East corner of Sy.No.57 of Kelagote Village.

South: Then line runs on Southern Boundary of Sy.No.57 of Kelagote Village to North-East corner of Sy.No.16 of Kanakuppa Village. Then line runs on common boundary of Sy.Nos. 16-17, 16-19, 15-21, 24-21, 24-23, 26-23, 26-27, 28-27, 29-33, 29-32, 29-31, 30-31, 5-31, 4-31, 4-37, 3-37, 1-37, 1-39, 1-47, 48-47, 48-46, 49-46, 49-45, 53-45, 53-54, 53-55, 52-55, 106-55, 106-56, 65-126, 65-58, 59-58 of Kanakuppa village, to South-East corner of Sy.No.59 of Kanakuppa Village. Then line runs on Southern Boundary of Kanakuppa Village to South-Westcorner Kanakuppa Village.Then line runs Southern boundary Hucchapalanahalli Village to South-East corner of Sy.No.7 of Hucchapalanahalli Village. Then line runs West on Southern Boundary of Hucchapalanahalli, Inahalli and Mustigranahalli Villages to South-East corner of Sy.No.39 of MustigranahalliVillage. Then line runs on common boundary of Sy.Nos. 39-115, 40-115, 40-41, 40-43, 53-43, 52-43, 52-51, 62-51, 62-63, 73-63, 71-63, 69-63, 69-67, 68-67, 68-66, 68-65, 75-76, 77-76 of Mushtigaranahalli village to South-West corner of Sy.No.77 of same village. Then line runs North on Western Boundary of Mustigranahalli village to common band of kallenahalli Village, Lingannanahalli Village, Mustigranahalli Village and Meenigaranahalli Village. Then line runs West on Southern Boundary of Kallenahalli Village to South-West corner of Sy.No.47 of Kallenahalli Village.

West: Then line runs North on Western Boundary of Sy.No.47 of Kallenahalli Village to South-West corner of Sy.No.50 of Kallenahalli Village. Then line runs on common boundary of Sy.No.50-53, 52-53, 52-37, 52-38, 40-38, 40-39, 40-29, 41-29, 42-28 of Kallenahalli Village to North-West corner of Sy.No.42 of same village. Then line runs Northern boundary of Sy.No.42 of Kallenahalli village to a common band of Kallenahalli village, Gode village and Pallagatte village. Then line runs Western boundary Gode village and Tharehalli village to a common band of Tharehalli village and Pallagatte village on Southern boundary of Uralakatte village. Then line runs Southern and Western boundary of Uralakatte village, Western boundary of Chellakatte and Varavihalli village to common band of Varavihalli village and Ujjappavaderahalli village on Southern boundary of Siddayyanakote village. Then line runs South-West on Southern boundary of Siddayyanakote village to South-West corner of Sy.No.79 of Siddayyanakote village. Then line runs on common boundary of Sy.Nos. 79-91, 80-90, 81-87, 82-87, 82-86, 83-86, 83-84, 44-43, 47-43, 42-43, 42-41, 38-41, 38-39, 38-18, 28-19, 24-19, 22-19, 22-20, 21-20, 21-6, 21-5, 4-5, 4-3 of Siddayyanakote village, Sy.No. 108 of Basavanakote village and Sy.No.3 of Siddayyanakotevillage, Sy.No.107 of Basavanakote village and Sy.No.3 of Siddayyanakote village, Sy.No. 107 of Basavanakote village and Sy.No.177, 176, 175, 174 of Siddayyanakote village, Sy.Nos. 107-89, 106-89, 90-89, 91-85, 91-84, 79-84, 80-84, 80-82, 81-82, 81-55, 56-55, 56-57, 58-57, 38-57, 38-50, 38-39, 42-39, 42-41, 43-41, 43-44, 43-26, 34-26, 34-27, 34-30, 33-30, 31-30, 31-13, 5-13, 5-6, 4-6, 3-6, 2-6, 7-6, 7-8, 255-254, 255-253, 255-252,

258-252, 259-250, 248-249, 248-243, 244-243, 242-243 of Basavanakote village to North-West corner of Sy.No. 243 and South-West corner of Sy.No. 242 of same village. Then line runs Western boundary of Sy.No. 242, 241 of same village to common bandh of Sy.No.241, 238 and 237 of same village. Then line runs on common boundary of Sy.Nos. 238-237, 238-236, 224-236, 224-225, 226-233, 226-232, 226-231, 227-231, 228-231, 228-230, 229-230, 229-233, 214-233 to North-East corner of Sy.No. 214 of same village. Then line runs on Southern boundary of Sy.No. 233 of same village to North-West corner of Sy.No. 212 of same village. Then line runs Northern boundary of Sy. No. 212 of same village. Then line runs cross through nala to meet starting point.

ANNEXURE-II

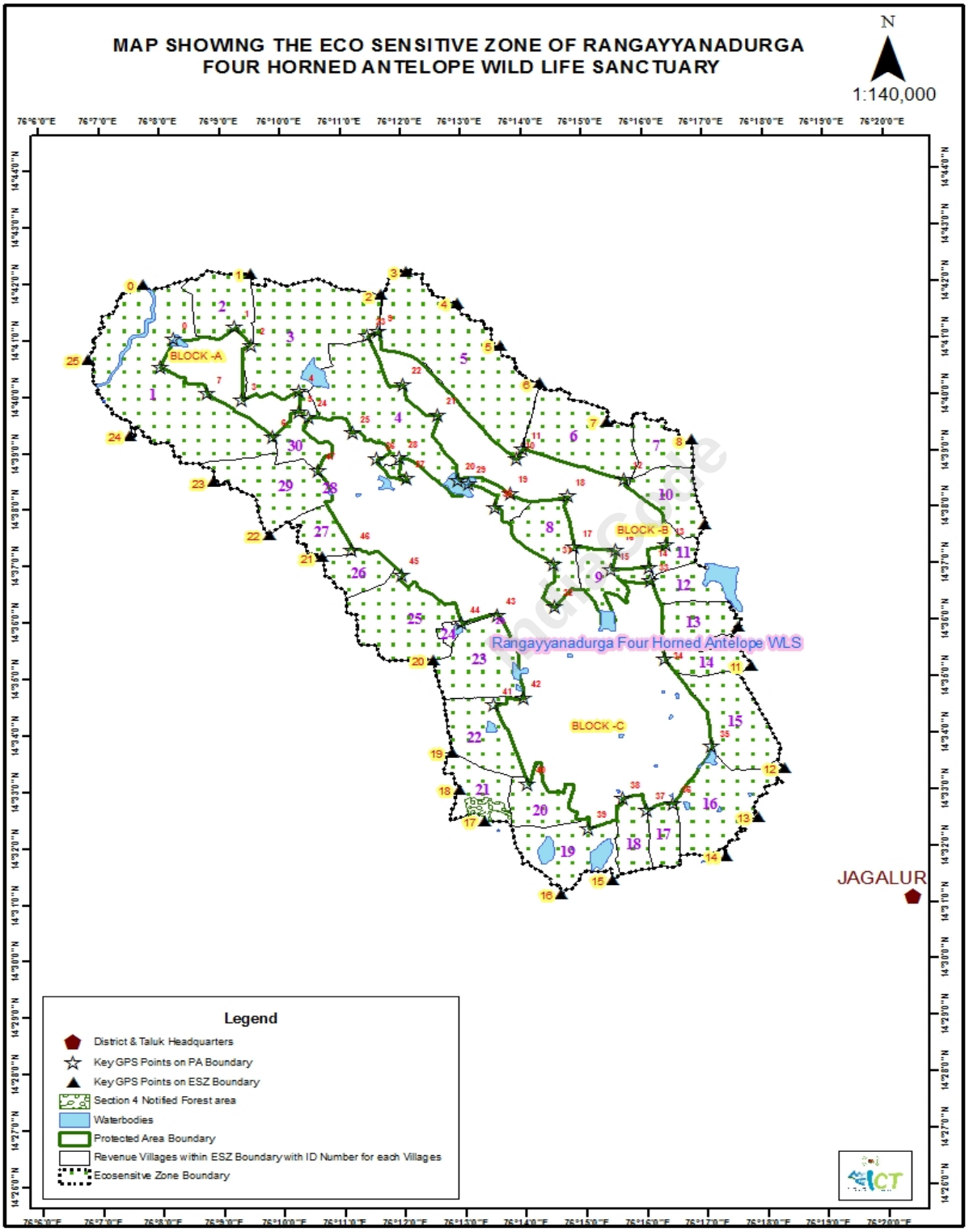
Villages falling within the Eco-sensitive Zone around Rangayyandurga Four Horned Antelope Wildlife Sanctuary

Map ID	Village	Eco-sensitive zone width	Area (in Hectare)	Longitude			Latitude			Taluk	District
				Deg	Mins	Secs	Deg	Mins	Secs		
1	Basavanakote	Partial village	1600.58	76	8	17.29	14	40	18.17	Jagaluru	Davanagere
2	Agasanahalli	Entire village	368.63	76	9	2.65	14	41	35.30	Jagaluru	Davanagere
3	Magadi	Entire village	1096.51	76	10	20.72	14	41	5.38	Jagaluru	Davanagere
4	Gurusiddapura	Entire village	969.22	76	12	16.69	14	39	11.37	Jagaluru	Davanagere
5	Thulahalli	Partial village	1316.41	76	12	56.54	14	40	38.69	Kudligi	Bellary
6	Yaralakatte	Partial village	649.61	76	14	53.29	14	38	52.72	Jagaluru	Davanagere
7	Medakeripura	Partial village	245.60	76	16	14.48	14	39	5.58	Jagaluru	Davanagere
8	Gowdikatte	Entire village	393.31	76	14	23.25	14	36	59.86	Jagaluru	Davanagere
9	Malemachikere	Entire village	334.49	76	15	27.57	14	36	46.70	Jagaluru	Davanagere
10	Katenahalli	Entire village	309.92	76	16	25.93	14	38	10.20	Jagaluru	Davanagere
11	TalavaraKariyappanahalli	Entire village	146.58	76	16	23.54	14	37	18.18	Jagaluru	Davanagere
12	Hirebannihatti	Entire village	222.25	76	16	43.31	14	36	37.20	Jagaluru	Davanagere
13	Chikkabannihatti	Entire village	287.67	76	16	46.65	14	35	57.13	Jagaluru	Davanagere
14	Sheetharasanahalli	Partial village	236.86	76	17	1.84	14	35	20.49	Jagaluru	Davanagere
15	Kelakote	Entire village	540.33	76	17	28.59	14	34	12.82	Jagaluru	Davanagere
16	Kanakuppa	Partial village	598.26	76	16	19.19	14	33	54.53	Jagaluru	Davanagere
17	Hucchapalanahalli	Entire village	176.82	76	16	15.66	14	32	31.98	Jagaluru	Davanagere
18	Inahalli	Entire village	233.28	76	15	45.53	14	32	31.56	Jagaluru	Davanagere
19	Mustigarahalli	Partial village	484.11	76	14	50.24	14	32	8.45	Jagaluru	Davanagere
20	Lingannanahalli	Entire village	264.44	76	14	29.63	14	33	5.03	Jagaluru	Davanagere
21	Kallenahalli	Partial village (Including section-4 area)	297.29	76	13	13.94	14	33	0.13	Jagaluru	Davanagere
22	Gode	Entire village	457.56	76	13	48.33	14	34	6.84	Jagaluru	Davanagere
23	Tarehalli	Entire village	560.42	76	13	43.07	14	35	19.69	Jagaluru	Davanagere
24	Chikkaurlakatte	Entire village	36.72	76	12	45.04	14	35	48.30	Jagaluru	Davanagere
25	Urlakatte	Entire village	666.14	76	12	28.50	14	36	19.58	Jagaluru	Davanagere
26	Challakatte	Entire village	230.53	76	11	33.84	14	37	5.50	Jagaluru	Davanagere
27	Varavinahalli	Entire village	181.50	76	10	41.15	14	37	35.40	Jagaluru	Davanagere
28	Rangaiahnadurga	Entire village	19.77	76	11	45.09	14	38	5.44	Jagaluru	Davanagere
29	Siddaiahnakote	Partial village	519.85	76	9	52.59	14	38	24.50	Jagaluru	Davanagere
30	Jadanakatte	Entire village	220.66	76	10	26.72	14	39	15.66	Jagaluru	Davanagere
	Total		**13665.29**								

IndiaCode

ANNEXURE-III

Map showing the Eco-sensitive Zone around Rangayyanadurga Four Horned Antelope Wildlife Sanctuary



ANNEXURE-IV

Table showing Geo Coordinates of major points on the boundary of Eco-sensitive Zone around Rangayyanadurga Four Horned Antelope Wildlife Sanctuary

Map ID	Longitude			Latitude		
	Degree	Minutes	Seconds	Degree	Minutes	Seconds
1	76	7	43.24	14	41	59.85
2	76	9	30.05	14	42	11.26
3	76	11	39.99	14	41	47.91
4	76	12	4.67	14	42	12.87
5	76	12	55.20	14	41	38.77
6	76	13	38.29	14	40	53.55
7	76	14	16.92	14	40	13.14
8	76	15	23.34	14	39	31.38
9	76	16	47.87	14	39	12.21
10	76	17	0.84	14	37	42.57
11	76	17	33.32	14	35	53.31
12	76	17	45.34	14	35	11.84
13	76	18	18.63	14	33	22.97
14	76	17	51.76	14	32	30.97
15	76	17	20.05	14	31	49.75
16	76	15	26.71	14	31	24.48
17	76	14	35.54	14	31	9.63
18	76	13	19.96	14	32	28.05
19	76	12	55.21	14	33	1.23
20	76	12	47.66	14	33	41.08
21	76	12	29.81	14	35	19.50
22	76	10	40.02	14	37	9.15
23	76	9	46.99	14	37	33.30
24	76	8	52.09	14	38	29.71
25	76	7	28.92	14	39	19.08
26	76	6	47.62	14	40	40.49

IndiaCode

Table showing Geo Coordinates of major points on the boundary of Rangayyanadurga Four Horned Antelope Wildlife Sanctuary

BLOCK-A

Map ID	Longitude			Latitude		
	Degree	Minutes	Seconds	Degree	Minutes	Seconds
1	76	8	13.22	14	41	1.47
2	76	9	14.62	14	41	13.92
3	76	9	30.28	14	40	54.98
4	76	9	21.56	14	39	56.49
5	76	10	18.53	14	40	5.57
6	76	10	17.88	14	39	43.46
7	76	9	51.28	14	39	17.32
8	76	8	47.12	14	40	3.68

BLOCK-B

Map ID	Longitude			Latitude		
	Degree	Minutes	Seconds	Degree	Minutes	Seconds
9	76	7	59.83	14	40	31.88
10	76	11	37.38	14	41	8.43
11	76	13	54.29	14	38	53.07
12	76	13	59.89	14	39	2.88
13	76	15	41.15	14	38	30.27
14	76	16	22.50	14	37	20.18
15	76	16	5.40	14	36	56.45
16	76	15	27.88	14	36	54.12
17	76	15	32.56	14	37	14.73
18	76	14	51.17	14	37	18.77
19	76	14	44.63	14	38	13.10
20	76	13	47.56	14	38	15.95
21	76	12	55.78	14	38	30.19
22	76	12	36.26	14	39	39.84
23	76	12	1.54	14	40	12.10

IndiaCode

BLOCK-C

Map ID	Longitude			Latitude		
	Degree	Minutes	Seconds	Degree	Minutes	Seconds
24	76	11	26.26	14	41	4.36
25	76	10	27.84	14	39	38.07
26	76	11	10.81	14	39	21.34
27	76	11	35.45	14	38	53.26
28	76	12	4.91	14	38	32.79
29	76	11	58.07	14	38	54.42
30	76	13	6.20	14	38	26.96
31	76	13	32.15	14	38	1.00
32	76	14	30.52	14	37	0.56
33	76	14	31.57	14	36	15.25
34	76	16	6.95	14	36	42.26
35	76	16	20.38	14	35	18.77
36	76	17	6.37	14	33	45.79
37	76	16	28.20	14	32	45.45
38	76	16	1.64	14	32	38.39
39	76	15	37.37	14	32	50.81
40	76	15	3.72	14	32	19.23
41	76	14	2.69	14	33	6.98
42	76	13	30.12	14	34	30.99
43	76	13	59.29	14	34	38.46
44	76	13	34.12	14	36	6.66
45	76	12	58.86	14	35	57.95
46	76	11	58.70	14	36	49.92
47	76	11	9.70	14	37	16.85
48	76	10	36.23	14	38	41.29

IndiaCode

ANNEXURE-V

The list of the forest areas included in the Eco-sensitive Zone of Rangayyanadurga Four Horned Antelope Wildlife Sanctuary.
NOTIFIED FOREST AREAS – 0.49 square kilometers

Sl. No.	District	Name of Forest	Administrative Control	Area in Sq. Kms.	Government Order No. and Date
1	Davanagere	Kallenahalli Sec-4 Area	Davanagere Forest Division	0.49	FEE-114-FAF-2013, Bangalore dt : 25-11-2013

ANNEXURE–VI

Performa of Action Taken Report:- Eco-sensitive Zone Monitoring Committee:—

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record. [Details may be attached as Annexure]
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006.
 [Details may be attached as separate Annexure]
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006.
 [Details may be attached as separate Annexure]
7. Summary of complaints lodged under section 19 of Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.06.10 14:30:48 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.